फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री विकास कुमार
निवासी 34, हीरागर वास, तरतोली
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 05 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.02.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.01.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि माउन्ट आबू सर्किल से लगाकर आमथला तक मुख्य मार्ग पर कितनी होटलें है और कितनी होटलों व ढाबों ने भूमि का रूपान्तरण वाणिज्य गतिविधियों में करवा रखा है। उसकी सूची उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.01.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि माउन्ट आबू सर्किल से लगाकर आमथला तक मुख्य मार्ग पर कितनी होटलें है और कितनी होटलों व ढाबों ने भूमि का रूपान्तरण वाणिज्य गतिविधियों में करवा रखा है। उसकी सूची उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2024/44 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत को स्थानान्तरित कर दिया गया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर—ए—इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2024.03.15 16:19:34 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner